कार्यालय राज्य कर आयुक्त, छत्तीसगढ़

वाणिज्यिक कर विभाग जीएसटी भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर

क्रमांक राकआ/एक/स्था/2024/562 नवा रायपुर, दिनांक 08.08.2024

आदेश

श्री दीपक गिरी, संयुक्त आयुक्त राज्य कर, संभाग क्रमांक–2 बिलासपुर द्वारा कार्य के दौरान व्यवसायी से अभद्र व्यवहार, मानसिक प्रताड़ना, भयाक्रांत व रिश्वत मांग करने संबंधी शिकायत के तारतम्य में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) में उपबंध के आधार पर श्री दीपक गिरी, संयुक्त आयुक्त राज्य कर, संभाग क्रमांक–2 बिलासपुर को निलंबित किया जाता है।

2/ निलंबन की कालावधि के लिए श्री दीपक गिरी, संयुक्त आयुक्त राज्य कर, संभाग क्रमांक–2 बिलासपुर का मुख्यालय कार्यालय आयुक्त राज्य कर, मुख्यालय, सेक्टर 19, नवा रायपुर, अटल नगर रहेगा।

3/ निलंबन अवधि के दौरान श्री दीपक गिरी, संयुक्त आयुक्त राज्य कर, संभाग क्रमांक–2 बिलासपुर को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आयुक्त
राज्य कर, छत्तीसगढ़

पृ.क्रमांक राकआ/एक/स्था/2024/19317 नवा रायपुर, दिनांक 08.08.2024

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर, मंत्रालय, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर, मंत्रालय, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कार्यालय संयुक्त आयुक्त राज्य कर, संभाग क्रमांक–2 बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. श्री दीपक गिरी, संयुक्त आयुक्त राज्य कर, संभाग क्रमांक–2 बिलासपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. राज्य कर मुख्यालय के गोपनीय कक्ष की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. कार्यालयीन आदेश नस्ती हेतु।

आयुक्त
राज्य कर, छत्तीसगढ़

Scanned with OKEN Scanner